संख्या-**961**/2024/2967/41-1-2024/ सी0एन0-1764732/2024

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **06** दिसम्बर, 2024

विषय:-मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गतजनपद बिजनौर केनगीना में स्थित हजरत मोइनुद्दीन दरगाह मोहल्लाकिला का पर्यटन विकास की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-6603/मु0प0वि0स0यो0/सी.एन.-21711/2023-24, दिनांक 14-11-2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत 'जनपद बिजनौर केनगीना में स्थित हजरत मोइनुद्दीन दरगाह मोहल्लाकिला का पर्यटन विकासकी परियोजना को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है किशासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्तमुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजनान्तर्गत जनपद बिजनौर केनगीना में स्थित हजरत मोइनुद्दीन दरगाह मोहल्लाकिला का पर्यटन विकास हेतु निर्गत शासनादेश सं0-22/2024/34/011-CN-1784732-2023, दिनांक 09-01-2024 की परियोजना को एतद्द्वारा निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त के अतिरिक्त प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 18.50 लाख को ब्याज सहित राजकोष में तत्काल जमा कराते हुए चालान की प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी, बिजनौर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज(उत्तर प्रदेश जल निगम), लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-5, 6व 7 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
8. उप निदेशक, पर्यटन,बरेली/मुरादाबाद मण्डल,बरेली।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
10. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।